न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या : 2009/34

1. श्री बागडा ब्राह्मण समाज, क्षेत्रिय समिति स्थित लिंग रोड, बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर जरिये अध्यक्ष भौरी लाल बागडा पुत्र स्व0 श्री गणेश नारायण बागडा, जाति बागडा, निवासी–मून्डिया रामसर, तहसील जयपुर (राज0)।

–प्रार्थी

बनाम

1 हेमराज जांगिड पुत्र श्री श्रवणलाल जांगिड, निवासी भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला–जयपुर।

2 बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री ग्यारसीलाल, जाति नाई

3 गोपाल लाल पुत्र स्व. श्री ग्यारसीलाल, जाति–नाई, निवासीयान–बडा गुवाडा, सांभर वालों की चक्की के पास, बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2

सहायक कलक्टर शहर द्वितीय

निर्णय **दिनांक**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ पेश हुआ कि प्रार्थी के पंजीकृत सामाजिक समिति है जिसका कार्यालय – लिंक रोड, बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी ओर से अध्यक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत है और यह प्र[illegible] जरिये अध्यक्ष पेश किया जा रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की बिना [illegible] शामलाती कृषि भूमि खसरा नंबर 5341/3 रकबा 0.0[illegible] [illegible] लिंक रोड, बगरू में स्थित है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का शामलाती कुआं बना हुआ है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

पक्षकारान् उक्त शामलाती कुऐं से अपने–अपने खेत में फसल की सिंचाई करते है तथा कुऐं का समान रूप से उपयोग–उपभोग करते है। उपरोक्त खसरा नंबर 5341/3 की कृषि भूमि को पूर्व खातेदार कैलाश, प्रहलाद, घनश्याम पिता भूरा, बसन्ती पत्नि ओम प्रकाश नाई ने हेमराज जांगिड निवासी– भांकरोटा को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दिया जिसका नामान्तरण अब हेमराज जांगिड अप्रार्थी संख्या–1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। अप्रार्थीगण की नियत में फितुर आ गया है तथा व अनाधिकृत तौर पर खसरा नंबर 5341/3 में स्थित शामलाती कुऐं के पानी को स्वयं अकेले काम में लेने पर उतारू है तथा अन्य हिस्सेदारान को पानी के उपयोग व उपभोग करने में रूकावट पैदा करता हैं पिछले कुछ दिनों से अप्रार्थीगण शामलाती कुऐं के पानी का टैंकरों के माध्यम से बेचान कर रहे है तथा प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है। अप्रार्थीगण आपराधिक एवं झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो आये दिन प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा एवं गाली गलौच करते रहते है। अप्रार्थीगण शामलाती कृषि भूमि खसरा नंबर 5341/3 की भूमि पर अवैध तौर पर कब्जा करने की कुचेष्ठा से ईट व पत्थर डाल रहें है तथा कुऐं की तोडफोड करने पर उतारू हो रहें है, और किसी भी क्षण अवैध रूप से जोर जबरदस्ती निर्माण कर सकते है, जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण को आस–पास के लोगों द्वारा भी समझाया गया कि वह शामलाती कुऐं के पानी के बेचान ना करें और सभी हिस्सेदारान को समान रूप से पानी का उपयोग व उपभोग करने दे, पानी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट पैदा न करें, लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा धमकी भरे शब्दों में कहा कि प्रार्थी को जो करना है करें हम कुऐं के पानी का बेचान करेंगें, प्रार्थी को पानी नहीं लेने देगें और प्रार्थी को विवादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित कुऐं का उपयोग व उपभोग नहीं करने देंगें। इस कारण न्यायालय में तुरन्त यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावे के निर्णय होने तक अप्रार्थीगण को अविलम्ब अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह बिना बटी शामलाती कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 5341/3 एवं उसमें स्थित शामलाती कुऐं में किसी प्रकार की तोडफोड ना करें, कुऐं के पानी को किसी भी रूप में बेचने की कार्यवाही ना स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करावें, किसी प्रकार का कोई निर्माण ना करें एवं प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:43 IST
Reason: SelfAttested

नायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

रूकावट पैदा ना करें तथा प्रार्थी को पानी का उपयोग व उपभोग सामान्य रूप से पूर्व की तरह करने दें। अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें कि उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि का किसी भी प्रकार से स्थानान्तरण न करें और ना ही किसी प्रकार की राजस्व रिकॉर्ड में तब्दीली करावें।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी (खतौनी) की प्रति सम्वत् 2062 से 2065, नक्शा फोटो प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली है।

टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उपस्थित आयें। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब टीआई पेश किया गया जिसमें अंकित है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी की शामलाती कृषि भूमि खसरा नंबर 5341/3 रकबा 0.03 पर गैर मुमकिन चाह लिंक रोड, बगरू में स्थित है स्वीकार है शेष कथन असत्य होने पर अस्वीकार है वास्तविक तथ्य यह है कि उक्त भूमि पर कुऑ मिन अप्रार्थीगण के पिता स्व0 ग्यारसीलाल द्वारा बनाया गया मिन अप्रार्थी के पिता द्वारा उक्त कुॅए में सन् 1993–94 मे फरमें व 880 आडी बलिया लगवाई जिसके निर्माण में 59700 रूपये का खर्चा भी मिन अप्रार्थीगण के पिताजी ने उठाया है उसके उपरांत कुॅए में पानी कम हो जाने के वाद कारण पुनः फरमा भरवाने व भाटा फुटवाने का आडी बलिया लगवाई जिसमें करीब 3,21,000 का व्यय भी मिन अप्रार्थीगण द्वारा किया गया। जब उक्त विवादग्रस्त भूमि में स्थित कुऑ व उसमें लगा विद्युत कनेक्शन मिन अप्रार्थीगण का ही है तो उनके कब्जे करने का प्रश्न की पैदा नही होता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे से ,खारिज फरमाये जाने के आदेश पारित करवायें।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुख्य विवाद प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की बिना बटी शामलाती कृषि भूमि खसरा नंबर 5341/3 रकबा 0.03 एयर गैर मुमकिन चाह में है जिसमें कुऑ बना हुआ है उक्त कुऐं का प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण शामलाती रूप से उपयोग–उपभोग कर रहे है लेकिन कुछ समय से अप्रार्थीगण कुऐं के पानी को स्वयं अकेले काम में ले रहे है तथा अन्य हिस्सेदारान को पानी के उपयोग व उपभोग करने में रूकावट पैदा कर रहे है तथा प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा एवं गाली गलौच करते रहते है ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता प्रतीत हो रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर दक्षिण

Scanned by CamScanner

तुलनात्मक रूप से असुविधा एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी की ही होना प्रतीत हो रही है यदि वादग्रस्त आराजी की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन ताफैसला मूलवाद किया जाता है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व मे जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को कन्फर्म किया जाकर ताफैसला मूलवाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 5341/3 रकबा 0.03 एयर मुमकिन चाह वाकै ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कीं यथास्थिति बनाये रखें, व कुऐं में किसी तरह की तोड़फोड़ व नया निर्माण भी न करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 07.04.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner